**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

राज निवास, दिल्ली पर 10 अगस्त, 2016 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

 निम्नलिखित उपस्थित थेः

**अध्यक्ष**

 श्री नजीब जंग

 उप राज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

 श्री अरूण गोयल

**सदस्य**

1. श्री वैंकटेश मोहन

वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

1. डॉ. महेश कुमार

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं रा.रा.क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
2. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
3. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
4. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक

**सचिव**

 श्री डी.सरकार

 आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

**विशेष आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारी**

1. श्री के.के.शर्मा

मुख्य सचिव, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार

1. श्री जनक डीगल

प्रधान आयुक्त (शहरी विकास), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

1. श्री विजय कुमार

उपराज्यपाल दिल्ली के सचिव

1. श्री ए.अंबारसु

सचिव (भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार

1. श्री प्रवीन गुप्ता

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

1. श्री पुनीत गोयल

आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम

1. श्री मोहनजीत सिंह

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

1. श्री जे.पी.अग्रवाल

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्राणाली), दि.वि.प्रा.

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

1. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

1. डॉ. (श्रीमती) सिमी मल्होत्रा

(मीडिया, शैक्षिक, कला, संस्कृति एवं भाषा)

उपराज्‍यपाल दिल्‍ली के सलाहकार

1. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी

1. श्री विश्वेन्द्र

उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

1. श्री के.के. जोद्दार

मुख्य शहरी योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.

1. श्री एस.पी.पाठक

आयुक्त (यजोना), दि.वि.प्रा.

1. श्री आलोक स्वरूप

विशेष सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

1. श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता

आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

1. श्री संतोष कुमार

मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.

1. श्री उदित रत्न

मुख्य शहरी योजनाकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. श्री ए.डी.विस्वास

मुख्य शहरी योजनाकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

1. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य कानूनी सलाहकार, दि.वि.प्रा.

1. श्रीमती सविता भण्डारी

अपर आयुक्त (भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.

1. श्री अमित कुमार दास

अपर आयुक्त (ए.पी.), दि.वि.प्रा.

1. श्री सब्यसांची दास

अपर आयुक्त (यूटीपैक),दि.वि.प्रा.

1. श्री जी.एस.मीना

अपर आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. डॉ. के.श्रीरंगन

निदेशक (योजना) ए.पी.-I,दि.वि.प्रा.

1. श्री राजेश कुमार जैन

निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

1. श्री सुराजीत जराधरा

निदेशक (बिल्डिंग), दि.वि.प्रा.

1. श्रीमती मनीषा गुप्ता

वरिष्ठ वास्तुकार (डी.यू.एच.एफ./शहरी पार्क), दि.वि.प्रा.

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी प्राधिकरण सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

**मद सं.90/2016**

**राजनिवास पर 10.06.2016 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

**एफ.2(2)2016/एम.सी./दि.वि.प्रा.**

 प्राधिकरण की 10.06.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

**मद सं.91/2016**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 27.4.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट**

**एफ.2(3)2016/एम.सी./डी.डी.ए.**

प्राधिकरण की दिनांक 27.04.2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर टिप्पणी की गई।

 मद संख्या 67/2016 के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.92/2016 (ए)**

**अंतिम अधिसूचना के लिए शहरी विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए दिल्ली मुख्य योजना -2021/भूमि उपयोग परिवर्तन में प्रस्तावित संशोधन के मामले।**

1. **योजना, क्षेत्र-डी में आने वाले 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली में महा पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत (आर.जी. एवं सीसीआई) के नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 3019.5 वर्ग मीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग का ‘आवासीय’ से ‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’में प्रस्तावित परिवर्तन।**

**एफ.20(03)2015/एमपी**

 एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास यथाशीघ्र भेजा जाए।

1. **डी.एम.आर.सी. सरिता विहार डिपो, मथुरा रोड, ज़ोन-एफ, के पीछे उत्तर अवस्थित 1.83 हेक्टेयर दि.वि.प्रा. भूमि के भूमि उपयोग का ‘व्यावसायिक’ (सी-2) से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ में प्रस्तावित परिवर्तन।**

 एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास यथाशीघ्र भेजा जाए।

1. **रोहिणी परियोजना-सेक्‍टर 33, फेज IV एवं V, जोन एम में 8.90 हेक्‍ट. क्षेत्रफल वाले स्‍थल का ‘मनोरंजनात्‍मक’ से ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ (पी एस 3), खेल परिसर में परिवर्तन हेतु प्रस्‍ताव।**

 **एफ.20(18)/2015-एमपी**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनमोदन किया गया। इस मामले को तत्‍काल रूप से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा जाए।

**(IV) योजना जोन-डी में आने वाले मोती बाग फ्लाई ओवर, नई दिल्‍ली के निकट रेलवे ट्रैक के पास शांति पथ स्थित मल्‍टी स्‍पेशियलिटी अस्‍पताल के निर्माण हेतु 0.28 हेक्‍ट. क्षेत्रफल के प्राथमिक विद्यालय भूखंड के अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ में परिवर्तन हेतु प्रस्‍ताव।**

 **एफ.20(14)2015/एमपी**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया गया। इस मामले को तत्‍काल रूप से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा जाए।

**(V) योजना जोन-ए (वॉल्‍ड सिटी) में आने वाले गाँधी मैदान स्थित 1.852 हेक्‍ट. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का ‘मनोरंजनात्‍मक’ (नेबरहुड पार्क/ओपन स्‍पेस) से ‘परिवहन’ (बहु स्‍तरीय पार्किंग) में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्‍ताव।**

 **एफ.20(3)2016/एमपी**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया गया। इस मामले को तत्‍काल रूप से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा जाए।

**मद सं.92/2016 (बी)**

**दि.वि.प्रा.-2021 में संशोधन आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक नोटिस को जारी करने के लिए भूमि उपयोग मामलों का परिवर्तन करने हेतु प्रस्‍ताव।**

1. **योजना, जोन-डी में आने वाले सराय काले खान, नई दिल्‍ली स्थित डी.यू.एस.आई.बी. कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 4771.12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूमि उपयोग को ‘आवासीय’ से ‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’ में प्रस्‍तावित परिवर्तन के संबंध में दिल्‍ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी.) का प्रस्‍ताव।**

 **एफ.20(2)2014/एमपी**

इस मामले में विस्‍तृत चर्चा के बाद एजेंडा मद पर निर्णय स्‍थगित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि मामले को प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए फिर से लाने से पहले डी.यू.एस.आई.बी.) से विस्‍तृत जानकारी प्राप्‍त की जाएगी।

1. **योजना जोन-सी में आने वाले बंग्‍लो रोड़ स्थित 1.264 हेक्‍ट. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग को ‘सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं’ से ‘व्‍यवसायिक’ (गैर-श्रेणीबद्ध व्‍यावसायिक केंद्र) (सी-1) में परिवर्तन से प्रस्‍ताव।**

 **एफ.20(04)/2016-एमपी**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया गया। आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस तत्‍काल रूप से जारी किए जाए।

**मद सं.93/2016**

**शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु दि.मु.यो.-2021**

**के अध्‍याय 19 में संशोधन।**

**एफ.3(53)2003/एमपी/वोल्‍यू.II**

एजेंडा मद पर चर्चा स्‍थगित की गई।

**मद सं. 94/2016**

**अध्‍याय 12 में संशोधित प्रस्‍ताव: बस डिपो/टर्मिनलों में बहु-स्‍तरीय पार्किंग हेतु प्रावधानों के**

**संबंध में दि.मु.यो.-2021 का परिवहन।**

**एफ.20(7)2015-एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया गया। आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस तत्‍काल रूप से जारी किए जाएं।

**मद सं. 95/2016**

**कम्‍पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत ‘बायोडायवर्सिटी मिशन एण्‍ड डीडीए**

**ग्रीन्‍स’, एक गैर-लाभकारी कम्‍पनी के रूप में नामित एक विशेष उद्देश्‍य के लिए वाहन**

**(एस.पी.वी.) का सृजन।**

**एफ.3(6)/2016/एचयूपीडब्‍ल्‍यू/एसए/(अर्बन पार्कस एण्‍ड डीयूएचएफ)**

**एफ.पीएस/एसी(एलएस)/डीडीए/2015/73/पार्ट-I**

‘बायोडायवर्सिटी मिशन एण्‍ड डीडीए ग्रीन्‍स’ नामक एसपीवी के सृजन के लिए एजेंडा में निहित प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को आवासन एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष सहमति हेतु यथाशीघ्र भेजा जाए। मंत्रालय से सहमति मिलने के पश्‍चात्, ‘बायोडायवर्सिटी मिशन एण्‍ड डीडीए ग्रीन्‍स’ नामक एसपीवी को शामिल करने के लिए कम्‍पनी पंजीयक, दिल्‍ली के साथ पेशेवर कम्‍पनी सचिव की सहायता से औपचारिक आवेदन भरा जाए।

**मद सं. 96/2016**

**दिल्‍ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन रेग्‍यूलेशनस, 1999 में संशोधन।**

**एफ.3(114)/2013/एच.यू.पी.डब्‍ल्‍यू./डब्‍ल्‍यू.जेड.एण्‍ड डी डब्‍ल्‍यू.के.**

एजेंडा में निहित प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्‍ली विकास अधिनियम 1957

की धारा 57 के अंतर्गत जनता एवं अन्‍य पणधारियों से उनके विचार/सुझाव आमंत्रित करने

 वाली सार्वजनिक सूचना यथाशीघ्र जारी की जाए।

**मद सं. 97/2016**

**दिल्‍ली मुख्‍य योजना-2021 के अध्‍याय 10.0-कंज़र्वेशन ऑफ बिल्‍ट हेरिटेज में ‘दीनपनाह**

**आर्केलॉजिकल पार्क’ को नामित करना।**

**एफ.20(10)/2015एमपी**

 एजेंडा मद के पैरा 3.1 में निहित प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया। इस क्षेत्र को ‘इन्‍द्रप्रस्‍थ पुरातात्विक पार्क’ के रूप में नामित किया जाएगा।

**मद सं. 98/2016**

**नई कोंडली पुनर्वास कॉलोनी में बेदखल किए गए व्‍यक्तियों हेतु वैकल्पिक प्‍लॉटों के आबंटन**

**की स्‍क्रैपिंग।**

**एफ.1(121)89/डी.डी./एल.पी.बी./पार्ट VIII**

एजेंडा मद में समविष्‍ट प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद. सं. 99/2016**

**निर्माण गतिविधियों का दि.वि.प्रा. से दि.न.नि. में स्‍थानांतरण-पुनर्वास मंत्रालय कर्मचारी**

**सहकारी सभा भवन सोसायटी लिमिटेड, मानवीय नगर, जोन-एफ, नई दिल्‍ली।**

**एफ.4(ए.ई.-I) बिल्‍ड/रेजिडेंसिएल/मिस./06-07/पार्ट**

एजेंडा मद में समविष्‍ट प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं. 100/2016**

**वित्‍तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक लेखों का अंगीकरण**

**एफ. 6(1)2016-17/ए/सी.एस.(एम)/एनुअल ए/सी 2015-16/डीडीए**

वित्‍तीय वर्ष 2015-16 हेतु दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की पुष्टि की गई।

हालांकि, अंतिम “पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट” (एस.ए.आर.) की प्राप्ति के बाद, एस.ए.आर. पर

दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की टिप्‍पणियों के साथ वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा

को अंगीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष पुन: रखा जाएगा।

**मद सं.101/2016**

**हिंदी पदों का सृजन**

**एफ.1(मिस.)पी.बी.I/डीडीए/2015/हिंदी**

 एजेंडा मद में समाविष्‍ट प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.102/2016**

**जी.पी. फंड, छुट्टी नकदीकरण फंड एवं पी.आर.एम.एस.फंड हेतु पृथक ट्रस्‍ट का निर्माण।**

**एफ.6(9)2015-16/ए./सी.एस.(एम.)**

एजेंडा मद में समाविष्‍ट प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं. 103/2016**

**आस-पास के क्षेत्रों की सड़क अवसंरचना के उन्‍नयन द्वारा दिल्‍ली में दि.वि.प्रा. द्वारा**

**विकसित जिला केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, गैर पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्रों एवं स्‍थानीय**

**शॉपिंग केंद्रों के आस-पास ट्रैफिक को सुगम करने हेतु प्रस्‍तावित सड़क अवसंरचना विकास।**

**एफ.15(10)/2016/एम.पी.**

एजेंडा मद में प्रस्‍ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया ताकि अवसंरचनात्‍मक उन्‍नयन के कार्य को दि.वि.प्रा. आरंभ कर सके। सक्षम प्राधिकरण की स्‍वीकृति से पहले यू.टी.टी.आई्.पी.ई.सी. द्वारा हरेक परियोजनाओं की जांच गहराई से की जाएगी।

**अन्‍य मद:**

1. **द्वारका, रोहिणी एवं नरेला में दि.वि.प्रा. की रिक्‍त भूमि में नगर स्‍तरीय उच्‍च धनत्‍व के मिश्रित उपयोग वाले आर्थिक/वाणिज्यिक/आवासीय हब के विकास हेतु परामर्श कार्य के लिए आर.एफ.पी.।**

 **एफ.73(218)2016/सी.ई./क्‍यू.ए.सी.**

 एजेंडा मद में शामिल सूचना नोट की गई।

1. **सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु शक्तियों का प्रत्‍यायोजन।**

 **एफ.5(287)2014-15/पी.सी./डी.डी.ए./पार्ट**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया गया।

1. **एक कमरे वाले फ्लैटों के आबंटिती कश्‍मीरी प्रवासियों के बकाया/अधिक देय राशि पर 100% ब्‍याज माफी।**

 **एफ.312(3006)एच.एस.आर.के.एम./2004/द्वारका**

 इस मामले में लिए गए निर्णय पर प्राधिकरण सहमत है।

1. **मानव संसाधन मंत्रालय, उच्‍च शिक्षा विभाग, दिल्‍ली सरकार के पक्ष में उप शहर नरेला, दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान स्‍थापित करने के लिए आबंटित स्‍थल मापन 20.8 हैक्‍ट. हेतु भूमि के प्रीमियम के कारण देर भुगतान के लिए ब्‍याज बंद कर रहा है।**

 **एफ.32(56)10/आई.एल.**

 एजेंडा मद में शामिल सूचना को नोट किया गया।

1. **राजनिवास,** **दिल्‍ली में 27.04.2016 और 10.06.2016 को आयोजित दिल्‍ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्‍यों द्वारा उठाए गए “अन्‍य बिन्‍दुओं” पर रिपोर्ट।**

 **सं.एफ.2(2)2016/एम.सी./डी.डी.ए./पार्ट**

दिनांक 27.04.2016 और 10.06.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठकों में गैर-सरकारी सदस्‍यों द्वारा उठाए गए “अन्‍य बिन्‍दुओं” पर रिपोर्ट को नोट किया गया।

माननीय उपराज्‍यपाल, दिल्‍ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्‍यों, विशेष आमंत्रित सदस्‍यों और वरिष्‍ठ अधिकारियों को धन्‍यवाद किया।

 अध्‍यक्ष महोदय को धन्‍यवाद के साथ बैठक समाप्‍त हुई।